इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 17.07.2017 को झूँसी शेरडीह में अप्रा0बिल्ड0काम0 नाम से श्री सुनील अग्रवाल एवं श्री सुरेश चन्द्र गर्ग द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग के गेट, साइट रूम एवं बाऊन्ड्रीवाल को ध्वस्त करा दिया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त प्लाटर के विरूद्ध झूँसी थाने में ए0डी0ए0 द्वारा एफ0आई0आर दर्ज करायी गयी है। इसके अतिरिक्त बंधवाताहिपुर में श्री गौरव सिंह द्वारा की गई अनधिकृत प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

इसी कम अन्य जोन में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत है–

1. जोन संख्या–01 में जोनल अधिकारी श्री सुशील चौबे के नेतृत्व में 02 नोटिस निर्गत की गयी।
2. जोन संख्या–02 में जोनल अधिकारी/अपर सचिव श्री गुडाकेश शर्मा के नेतृत्व में 01 चालान 02 नोटिस निर्गत की गयी।
3. जोन संख्या–03 व 04 में जोनल अधिकारी श्री आलोक पाण्डेय के नेतृत्व में 04 चालान, किया गया।
4. जोन संख्या–06 में जोनल अधिकारी श्री सत शुक्ला के नेतृत्व में 02 चालान किया गया।

इस प्रकार कुल 07 चालान, 03 नोटिस की कार्यवाही की गयी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

17.07.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क